

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937

No. 142]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 3 मार्च, 2016

सा.का.नि. 274(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा 2 दिसंबर, 2015 को जारी अधिसूचना सं. फेमा 358-2015/आरबी जो सा.का.नि. सं. 920(अ) के माफ़त भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी (जिसे इसके पश्चात् गज़ट अधिसूचना कहा गया है) में

(i) गज़ट अधिसूचना के अंग्रेजी रूपांतर के पृष्ठ सं. 3 पर पैराग्राफ सं. 3 के अंतर्गत, दूसरी पंक्ति में, "अनुसूची-I" को "अनुसूची-II" पढ़ा जाएगा।

2. गज़ट अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित बनी रहेगी।

[फा. सं. 1/30/ईएम/2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 3rd March, 2016

G.S.R.274(E).—In the Notification of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, No. FEMA. 358/2015-RB, dated December 02, 2015 bearing G.S.R. 920(E) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) (hereinafter referred as Gazette Notification):—

- (i) at page no. 3 of the Gazette Notification in English version, under para no. 3, in 2nd line, for “Schedule I” read “Schedule II”.
2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. 1/30/EM/2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager